UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU पत्र सूचना कार्यालय

10 NOVEMBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


UPSC
Dream Big...
Prepare Hard...
Polity
Economy
History
Geography
Current Affairs
IAS
Dream
आंखों में नींद बहुत है
पर सोना नहीं है,
यही समय है
कुछ कर दिखाने का,
इसे खोना नहीं है।

आज क्या पढ़ेंगे?

- भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग
- बाल विवाह मुक्त भारत
- कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी
- AI & China's University
- Nepal – A Case Study for Environment
- Air Pollution in Delhi
- Methanol Issue
- FRA - 2006
- UNFCCC – COP 31
- 4G Connectivity in Villages – BSNL Report
- Seikh Hasina Passport issue
- APEC – 2026
- Ukraine – Russia Peace Talk
- USA-Iran Conflict
- ANUJ – New record in Chess
- MAGDA LINETTE
- Arpita Singh
- Yamuna River Cruise Service
- INS Chilka

Economy

Infrastructure — उद्योग

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर: औद्योगिक विकास का आधार

Posted On: 07 NOV 2026 10:27AM

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग अपने विनिर्माण आधार, निवेश क्षमता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का विस्तार कर रहा है। समर्पित औद्योगिक पार्कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य उत्पादन क्षमता में सुधार करना और निवेश को आकर्षित करना है। अनुसंधान वित्तपोषण, विशेष संस्थान और कौशल विकास उन्नत अनुप्रयोगों के लिए विशेषज्ञता का निर्माण कर रहे हैं। गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल सुरक्षा उपाय जिम्मेदार औद्योगिक प्रणालियों को मजबूत करते हैं। साथ में, ये प्रयास इस क्षेत्र को अधिक मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक रासायनिक बाजारों में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं।

रणनीतिक महत्व का उद्योग

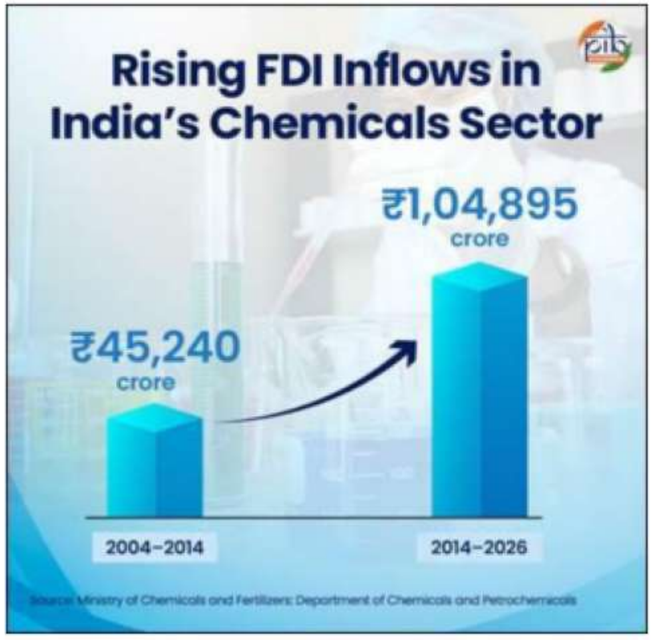
- भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण, कृषि और औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके उत्पाद फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत दुनिया में **रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक** और एशिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में इस क्षेत्र का मूल्य लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत विशेष रासायनिक क्षेत्रों में भी प्रमुख स्थान रखता है। यह **रंगों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक** है और वैश्विक **स्तर पर कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक** है। इस क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़े पैमाने की इकाइयां और 4.45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। कई पहल रासायनिक विनिर्माण, अनुसंधान और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रही हैं। इनमें समर्पित रासायनिक पार्क, वित्त पोषण के अवसर और गुणवत्ता और निवेश को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल हैं। साथ में, ये प्रयास वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं।

इंडिया केम 2026: उद्योग, निवेश और वैश्विक बाजार एक साथ

- 14वें इंडिया केम 2026 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर, 2026 तक मुंबई में किया गया था। तीन दिवसीय कार्यक्रम में रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसकी थीम, **"एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन हब"**, ने भारत की औद्योगिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला। 5,000 से अधिक आगंतुकों के साथ, यह कार्यक्रम देश के मंचों, सीईओ फोरम और क्षेत्र-विशिष्ट गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से उद्योग जगत के दिग्गजों और व्यवसायों को एक साथ लाया। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया गया, जबकि उद्घाटन इंडिया केम यूथ इनोवेशन चैलेंज ने छात्रों को व्यावहारिक, अनुसंधान-आधारित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

- घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निवेश, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक सक्षम नीतिगत वातावरण की आवश्यकता होती है। भारत अधिकांश रासायनिक क्षेत्रों के लिए स्वतः मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है। स्वचालित मार्ग के तहत, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए सरकार से पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। **2014-2026** के दौरान एफडीआई प्रवाह **1,04,895 करोड़ रुपये तक पहुंच गया**, जो 2004-2014 के दौरान दर्ज किए गए 45,240 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है।
- प्रमुख रसायनों और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन 2015-16 में 45,638 हजार मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर 2024-25 में **58,617 हजार मीट्रिक टन** हो गया। यह गति औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने, विशेष विनिर्माण केंद्र विकसित करने और पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की पहल का पूरक है।



पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल में निवेश के क्षेत्र

- पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन में निवेश के क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की अवधारणा इस क्षेत्र को एकीकृत तरीके से बढ़ावा देना है। पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चित्रित निवेश क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग **250 वर्ग किमी है,** जिसमें लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए निर्धारित है। पीसीपीआईआर सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत उपयोगिताओं और सहायता सेवाओं के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इनमें सड़कें, रेल नेटवर्क, बंदरगाह, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज निपटान संयंत्र, जल आपूर्ति और भाप उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करता है।
- भारत में तीन पीसीपीआईआर हैं: गुजरात में दाहेज, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा में पारादीप।
- इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।
- उन्होंने 3.7 लाख रोजगार पैदा किए हैं और 2,200 से अधिक रासायनिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है।
- यह साझा औद्योगिक इकोसिस्टम आगे के निवेश और मूल्यवर्धन के लिए एक आधार प्रदान करता है।

भव्य रसायन: समर्पित केमिकल पार्क

BHAVYA

- जुलाई 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना योजना (भव्य रसायन) योजना का उद्देश्य **तीन समर्पित केमिकल पार्क** स्थापित करना है। प्रत्येक पार्क कम से कम 8 वर्ग किलोमीटर (2,000 एकड़) भूमि को कवर करेगा। केंद्र प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगा, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान के अधीन होगा। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय **3,030 करोड़ रुपये है**। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय को कवर करते हैं। यह वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल तक चलेगा।
- ये पार्क रसायन उद्योग के लिए प्लग-एंड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे, जिससे संसाधन के इस्तेमाल में सुधार और रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह पर्यावरण के अनुकूल इकोसिस्टम के माध्यम से सतत औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इसमें सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भंडारण और निपटान सुविधाएं और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी केंद्रीकृत सुविधाएं शामिल हैं। इस योजना से निवेश आकर्षित करने, घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की उम्मीद है।



प्लास्टिक पार्क: डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण को मजबूती

- प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना भारत के डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन करती है। यह घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में पॉलिमर (एक पेट्रोकेमिकल) अवशोषण क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ाने पर केंद्रित है। प्लास्टिक पार्क प्लास्टिक से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों को समर्पित औद्योगिक क्षेत्र हैं। उनका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को मजबूत और समन्वित करना है। यह रोजगार पैदा करते हुए निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत, सरकार परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान वित्त पोषण प्रदान करती है, जो प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। शेष परियोजना लागत राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों आदि द्वारा वित्त पोषित की जाती है।
- ये पार्क अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पहल के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सतत विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। **पूरे भारत में दस प्लास्टिक पार्कों** को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 4 ने **शत-प्रतिशत** इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम पूरा कर लिया है, जिनमें से तीन 2025-26 के दौरान पूरे हुए हैं।

अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास

- जैसे-जैसे उद्योगों में रासायनिक अनुप्रयोगों का विस्तार हो रहा है, विशेष ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कई पहल क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान, विशेष तकनीकी शिक्षा और उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के माध्यम से इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं।

- **रासायनिक संवर्धन और विकास योजना**

- रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) ज्ञान निर्माण, प्रसार और अनुसंधान संवर्धन के माध्यम से रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास की सुविधा प्रदान करती है। यह क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटाबेस और प्रचार सामग्री का समर्थन करता है। यह योजना इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देकर अनुसंधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। यह कार्यशालाओं, सेमिनारों, अध्ययनों और संबंधित गतिविधियों के लिए संगठनों, उद्योग संघों और अन्य संस्थाओं को अनुदान सहायता (सामान्य) प्रदान करता है।

- 2016 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने सीपीडीएस के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

- कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) ने भी 2022-23 से इन कार्यक्रमों का संचालन शुरू किया। वे कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हैं और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणालियों को प्रोत्साहित करते हैं।

- इन प्रणालियों का उद्देश्य खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, फलों और सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों को कम करना है। अगस्त 2026 तक **250 से अधिक कार्यक्रमों** से देश भर में **1 लाख से अधिक किसानों** को लाभ हुआ है।

अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना

- नवंबर 2025 में शुरू की गई, अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना में अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए **1 लाख करोड़ रुपये** का कोष है। यह परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्त प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

- 8 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी, उन्नत रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामग्री प्रौद्योगिकी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र एक अतिरिक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र बन गया है। यह समावेशन क्षेत्रीय अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करेगा और उन्नत औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा।

सीआईपीईटी: तकनीकी शिक्षा, कौशल और उद्योग सहायता

- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी-सिपेट) एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है। यह भारत के पेट्रोकेमिकल और संबद्ध उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक और अनुसंधान (स्टार) गतिविधियों का संचालन करता है। सिपेट ने कई केंद्रों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से विस्तार किया है। इनमें सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट (सीएसटीएस), प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर (पीडब्लूएमसी) और स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स (एसएआरपी) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) और एडवांस पॉलिमर डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी (एपीडीडीआरएल) शामिल हैं।
- सिपेट के नेटवर्क में अब **51 केंद्र** शामिल हैं, जिनमें 2014 से स्थापित **19 केंद्र** शामिल हैं। इनमें से तीन केंद्र प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समर्पित हैं।
- संस्थान ने लगभग **6.72 लाख** कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 2014-24 के दौरान 5.21 लाख से अधिक शामिल हैं। इसने इसी अवधि के दौरान **8.53 लाख** प्रौद्योगिकी सहायता सेवा कार्य भी पूरे किए।

उत्कृष्टता केंद्र

- मौजूदा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने, अनुसंधान को मजबूत करने और नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। **18 केंद्रों** ने **85 पेटेंट** दायर किए हैं, **600 से अधिक रिसर्च पेपर** प्रकाशित किए हैं और **105 नई प्रौद्योगिकियों** और उत्पादों को विकसित किया है। ये उपलब्धियां स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण और औद्योगिक नवाचार का समर्थन करने में अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।

रसायनों का गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग

- रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जिम्मेदार विकास के लिए गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल की सुरक्षा अनिवार्य है। नियामक उपाय उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जबकि लक्षित प्रशिक्षण औद्योगिक श्रमिकों को खतरनाक रसायनों को सुरक्षित रूप से संभालने में सक्षम बनाता है।

• गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

- उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण को बढ़ावा देने और घटिया आयात पर अंकुश लगाने के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं। अगस्त 2026 तक, **37 क्यूसीओ** लागू हैं, जिससे निर्दिष्ट रासायनिक और पेट्रोकेमिकल मानक अनिवार्य हो गए हैं। इन आदेशों के लिए घरेलू निर्माताओं और आयातकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है।

कार्यस्थल की सुरक्षा और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन

- **बड़ी दुर्घटनाओं वाली खतरनाक (एमएएच) औद्योगिक इकाइयों** के कार्यबल के लिए विकसित भारत@2047 कार्य योजना के तहत एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह "कार्यस्थल पर खतरनाक रसायनों के सुरक्षित संचालन और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम में कमी के प्रयास" पर केंद्रित है। कार्यक्रम को 5 वर्षों में सभी 2,393 एमएएच इकाइयों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 एमएएच इकाइयों के 100 प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रत्येक इकाई से दो कर्मचारी भाग लेते हैं।
- अगस्त 2026 तक, देश भर में **21 प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 1,376 औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया और **2,441 कर्मियों** को प्रशिक्षित किया। यह पहल कार्यस्थल की तैयारियों को मजबूत करने और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन के बारे में जागरूकता में सुधार करने का प्रयास करती है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सेक्टर देश के विनिर्माण आधार, निवेश क्षमता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का विस्तार कर रहा है।
2. समर्पित औद्योगिक पार्कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में सुधार करना और निवेश को आकर्षित करना है।
3. इस क्षेत्र में अनुसंधान वित्तपोषण और कौशल विकास का उद्देश्य उन्नत अनुप्रयोगों के लिए विशेषज्ञता का निर्माण करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ है।" इस कथन के आलोक में, इस क्षेत्र के समक्ष मौजूद अवसरों का विश्लेषण करें और इसके संधारणीय विकास के लिए आवश्यक प्रमुख उपायों (जैसे- गुणवत्ता मानक, कौशल विकास और अनुसंधान) पर चर्चा करें। *(250 शब्द)*

PIB – SS → बाल विवाह

Social Welfare

बाल विवाह मुक्त भारत

बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में सामूहिक प्रयासों के दो वर्ष

Posted On: 06 NOV 2026 5:39PM

भारत में बाल विवाह आज भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। यह लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के अवसरों को प्रभावित करता है। 20 से 24 वर्ष की आयु की उन महिलाओं का अनुपात, जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ था, **एनएफएचएस-5 (2019-21)** के **23.3 प्रतिशत** से घटकर **एनएफएचएस-6 (2023-24)** में **20.1 प्रतिशत** हो गया है।

27 नवंबर 2024 को शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कानूनी सुरक्षा उपायों, जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बाल विवाह रोकने के प्रयासों को मजबूत कर रहा है। अभियान के तहत **6.85 लाख** जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, **12.47 करोड़** लोगों तक पहुंच बनाई गई और **42.01 लाख** संकल्प दर्ज किए गए। दो वर्ष पूरे होने के साथ, यह अभियान 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बाल विवाह मुक्त भारत की ओर

- भले ही भारत में बाल विवाह पर कानूनन रोक है, लेकिन आज भी यह एक गंभीर सामाजिक चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6), 2023-24 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु वाली 20.1 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो गई थी। एनएफएचएस-5 (2019-21) में यह आंकड़ा 23.3 प्रतिशत था, यानी इसमें **3.2 प्रतिशत अंकों** की कमी आई है।
- इस प्रथा के कारण लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, खासकर कम उम्र में गर्भवती होने के जोखिम से। इसके अलावा, इससे घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ता है, पढ़ाई-लिखाई रुक जाती है और गरीबी तथा लैंगिक असमानता का चक्र चलता रहता है।
- इसलिए, भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए हैं: एक ऐसा कानून जो बाल विवाह पर रोक लगाता है और सजा का प्रावधान करता है; एक ऐसी योजना जो लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए को बदलती है और नवंबर 2024 से शुरू हुआ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जो इन दोनों प्रयासों को सामुदायिक स्तर पर एक साथ लाता है।



बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)

- इस चुनौती का कानूनी समाधान बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 है, जो बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुख्य कानूनी आधार है। इसने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (शारदा एक्ट) की जगह ली। इसके तहत कानूनी दृष्टिकोण को केवल बाल विवाह को सीमित करने से बदलकर पूरी तरह निषेध करने की ओर ले जाया गया, साथ ही पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा और राहत देने का प्रावधान किया गया।

"बच्चा" कौन है?

- ऐसा लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और ऐसी लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, कानून के अनुसार बच्चा है। यदि विवाह करने वाले दो पक्षों में से कोई एक भी बच्चा है, तो वह विवाह बाल विवाह माना जाता है।

विवाह की स्थिति

- बाल विवाह को उस पक्ष की याचिका पर निरस्त किया जा सकता है, जिसकी उम्र विवाह के समय निर्धारित कानूनी उम्र से कम थी। ऐसा व्यक्ति बालिग होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे बच्चे को बहला-फुसलाकर या जबरदस्ती ले जाने, उसकी तस्करी करने या अनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर विवाह कानूनन अमान्य होता है।

अपराध और सजा

- इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पुरुष यदि बच्चे से विवाह करता है, तो उसे दो साल तक के कठोर कारावास और/या एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। बाल विवाह कराने, उसे बढ़ावा देने या उसकी अनुमति देने वाले लोगों पर भी सजा का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।

पीड़ितों के लिए राहत

- यह कानून भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था और बच्चों की कस्टडी के प्रावधान करता है। साथ ही, ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे कानूनी रूप से वैध माने जाते हैं।



रोकथाम के उपाय

- न्यायिक मजिस्ट्रेटों को बाल विवाह को रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। जिला मजिस्ट्रेट और बाल विवाह निषेध अधिकारी, खासकर सामूहिक विवाह के मौकों और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों के दौरान इसे रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे समय रहते हस्तक्षेप करके, जागरूकता फैलाकर और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ऐसा करते हैं।

बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)

- इस अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि वे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सीएमपीओ की नियुक्ति करें। उनके कानूनी कर्तव्यों में बाल विवाह को होने से रोकना, कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत जुटाना, व्यक्तियों और समुदायों की काउंसलिंग करना, जागरूकता फैलाना, समुदायों को संवेदनशील बनाना और समय-समय पर रिपोर्ट तथा आंकड़े प्रस्तुत करना शामिल है। इसलिए, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न केवल उल्लंघन होने के बाद कार्रवाई करना जरूरी है, बल्कि विवाह होने से पहले ही लोगों तक पहुंच बनाना, समुदाय में सतर्कता बरतना और तुरंत हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है।

- **सुप्रीम कोर्ट का फ्रेमवर्क:** 18 अक्टूबर 2024 को सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अनदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स (W.P. (C) No. 1234 of 2017) मामले में दिए गए अपने फैसले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया। इसमें जिला और उप-जिला स्तर पर समर्पित, पूर्णकालिक सीएमपीओ की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। साथ ही, समन्वय, निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए विशेष इकाइयों, विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाले जागरूकता अभियानों और प्रमुख अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा, तकनीक-आधारित रिपोर्टिंग और जोखिम वाले क्षेत्रों के डेटाबेस तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।

- यह फैसला बाल विवाह रोकने के लिए सजा देने के बजाय रोकथाम, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर अधिक जोर देता है। हालांकि, केवल कानून से उन सामाजिक मान्यताओं को नहीं बदला जा सकता, जो इस प्रथा को बढ़ावा देती हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा और उनका सशक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

- हालाँकि कानून बाल विवाह पर रोक लगाता है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) उन सामाजिक सोच को बदलने का काम करता है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं। बाल लिंगानुपात को सुधारने और जीवन के हर चरण में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की शुरुआत की गई थी।
- बीबीबीपी कई क्षेत्रों से जुड़ी एक पहल है, जिसका नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (नोडल मंत्रालय के रूप में) करता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। इस योजना को मिशन शक्ति के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है। इसका मुख्य ध्यान जागरूकता फैलाने, समर्थन जुटाने, समुदाय को एकजुट करने और व्यवहार में बदलाव लाने पर है। साथ ही, यह लड़कियों के जीवित रहने, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है।
- बाल विवाह को रोकना इन उद्देश्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की समस्या को दूर करना, भेदभावपूर्ण सामाजिक नियमों को चुनौती देना और परिवारों को लड़कियों का महत्व समझने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी कदम बाल विवाह में देरी करने और किशोर लड़कियों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद करते हैं।
- बीवीएमबी इसी आधार पर आगे बढ़ता है, जिसमें बाल विवाह के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कानूनी तथा सामुदायिक स्तर पर एक समन्वित प्रतिक्रिया तैयार की जाती है। कानून, सरकारी योजना और सामुदायिक प्रयासों के इसी मेल से इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हुई है।

बाल विवाह को खत्म करने के लिए एक सामूहिक संकल्प

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के कानूनी ढांचे और सामुदायिक फोकस को आधार बनाते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 27 नवंबर 2024 को बीवीएमबी के तहत एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाना है।
- इस अभियान ने सरकारी संस्थानों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक नेताओं, युवाओं और आम नागरिकों को एक साझा राष्ट्रीय संकल्प के साथ जोड़ा है। इस अभियान का लक्ष्य सामुदायिक स्तर पर बाल विवाह को रोकने के प्रयासों को मजबूत करना, बाल विवाह निषेध अधिकारियों तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और जोखिम में रह रहीं लड़कियों को सहायता प्रदान करना है।
- इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के प्रचलन को कम करना और सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप, 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस अभियान के लिए पूरा फंड देने का संकल्प लिया है। इसमें उन 257 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक है। इन जिलों की पहचान एनएफएचएस-5 डेटा के आधार पर की गई है।

बीवीएमबी पोर्टल: नागरिकों को कार्रवाई से जोड़ना

- बीवीएमबी पोर्टल (https://stopchildmarriage.wcd.gov.in) को इस अभियान के डिजिटल आधार के रूप में विकसित किया गया है। यह पोर्टल बीवीएमबी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसकी निगरानी करने और लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करता है।
- यह पोर्टल बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण आम जनता के लिए उपलब्ध कराता है। इससे बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करना आसान हो जाता है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और फील्ड स्तर के अधिकारी जागरूकता गतिविधियों और सामुदायिक आंदोलन के प्रयासों को भी इस पर दर्ज कर सकते हैं।
- यह पोर्टल नागरिकों, संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों को बीवीएमबी शपथ लेने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। शपथ लेने की यह पहल माईगॉव के माध्यम से भी उपलब्ध है। इस प्रकार, यह पोर्टल एक तरफ नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने और घटनाओं की रिपोर्ट करने का माध्यम है, तो दूसरी तरफ पूरे देश में इस अभियान की प्रगति और क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए एक निगरानी तंत्र के रूप में भी काम करता है।

100-दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान

- अभियान के पहले वर्ष के अंत में राष्ट्रीय प्रयासों को और तेज़ करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे देश में एक साथ शपथ लेने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
- 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए गए इस अभियान को तीन चरणों में बांटा गया था: सामान्य जागरूकता से लेकर लक्षित संस्थागत जुड़ाव तक और अंत में सामुदायिक स्तर पर प्रतिबद्धता तक।

चरण और अवधि	लक्ष्य समूह	प्रमुख गतिविधियाँ
चरण I: 27 नवंबर से 31 दिसंबर 2025	स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय	जागरूकता और संवेदीकरण सत्र, वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, इंटरैक्टिव गतिविधियां और शपथ ग्रहण समारोह
चरण II: 1 से 31 जनवरी 2026	धार्मिक संस्थान, धर्म गुरु, सामुदायिक प्रभावशाली व्यक्ति और विवाह से जुड़ी सेवाएं देने वाले	मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों के साथ जुड़ाव; कैटरर्स, टेंट हाउस, डीजे और अन्य सेवा प्रदाताओं तक पहुंच; सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का प्रदर्शन
चरण III: 1 फरवरी से 8 मार्च 2026	ग्राम पंचायतें और नगरपालिका वार्ड	सामुदायिक गतिविधियों और पंचायतों/वार्डों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने वाले प्रस्तावों को पारित करने में सहयोग देना

- यह अभियान केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थागत तथा सामुदायिक स्तर के हितधारकों के समन्वित प्रयासों से चलाया गया। इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए सीएमपीओ की भूमिका को मजबूत करने, स्थानीय संस्थाओं को सक्रिय करने और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूकता और पहुंच बढ़ाने वाली गतिविधियां चलाने, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने तथा जिला और जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत: प्रमुख उपलब्धियां

- बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने निरंतर जागरूकता फैलाने, संस्थाओं को सक्रिय करने, सामुदायिक भागीदारी और रोकथाम संबंधी कार्यों के माध्यम से बाल विवाह को खत्म करने के राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत किया है। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. व्यापक जागरूकता और सामुदायिक पहुंच

- • देश भर में **6.85 लाख** जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- • जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने वाली गतिविधियों के माध्यम से 12.47 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई।
- • 100-दिवसीय जागरूकता अभियान ने शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों, धार्मिक नेताओं, विवाह से जुड़ी सेवाएं देने वालों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया।

2. संस्थागत ढांचे को मजबूत करना

- बीवीएमबी पोर्टल पर **71,882 बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण दर्ज** है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर **59,686 सीएमपीओ** नियुक्त किए गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर बाल विवाह रोकने की व्यवस्था और मजबूत हुई है।
- यह पोर्टल एक केंद्रीय मंच प्रदान करता है, जहां से सीएमपीओ का विवरण देखा जा सकता है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और रोकथाम संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है।

3. नागरिकों की बढ़ती भागीदारी

- बीवीएमबी पोर्टल और MyGov के माध्यम से **42.01 लाख संकल्प दर्ज** किए गए, जिनमें से 40.96 लाख संकल्प बीवीएमबी पोर्टल के ज़रिए और 1.05 लाख संकल्प MyGov के ज़रिए लिए गए।
- इस संकल्प पहल ने नागरिकों, संस्थाओं और जन-प्रतिनिधियों को बाल-विवाह मुक्त भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने का अवसर दिया है।

4. रिपोर्टिंग और रोकथाम के उपाय

- बीवीएमबी पोर्टल पर **बाल-विवाह की 4,536 घटनाएं दर्ज** की गईं।
- अक्षय तृतीया जैसे अधिक जोखिम वाले समय के दौरान, ज़िला प्रशासन, सीएमपीओ (बाल-विवाह निषेध अधिकारी), कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सामुदायिक हितधारकों ने समय रहते हस्तक्षेप और समन्वित कार्रवाई के ज़रिए बाल-विवाह को रोकने के प्रयास किए हैं।

- केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, ज़िला प्रशासन और ज़मीनी स्तर की संस्थाओं के बीच तालमेल ने बाल-विवाह को खत्म करने की दिशा में पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण को मज़बूत किया है।
- यह पोर्टल सीएमपीओ के विवरण तक सार्वजनिक पहुंच, घटनाओं की रिपोर्टिंग, जागरूकता गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने, स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने की निगरानी और ऑनलाइन संकल्प लेने की सुविधा देता है। ये सभी कार्य मिलकर पारदर्शिता, समय पर रिपोर्टिंग, साक्ष्य-आधारित निगरानी और फॉलो-अप को बढ़ावा देते हैं।



राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति

- राष्ट्रीय स्तर पर यह दर एनएफएचएस-5 (2019-21) के 23.3 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस -6 (2023-24) में 20.1 प्रतिशत हो गई है। एनएफएचएस -5 के बाद से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें कमी देखी गई है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सबसे अधिक, 10.1 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (7.4 प्रतिशत अंक), असम (6.5 प्रतिशत अंक), बिहार (6.2 प्रतिशत अंक) और त्रिपुरा (6.1 प्रतिशत अंक) का स्थान है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिज़ोरम और केरलम सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्ष

- 27 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी) अभियान के दो वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मजबूत कानूनी ढांचे, व्यापक सामुदायिक भागीदारी और बढ़ते डेटा के इस दौर में, यह अवसर प्रगति का जायजा लेने, सीएमपीओ और जमीनी स्तर के हितधारकों के योगदान को मान्यता देने, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सफल अनुभवों को साझा करने, तथा बाल विवाह रोकने के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का मौका देता है।
- इसमें मुख्य रूप से सीएमपीओ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पोर्टल पर मौजूद डेटा की गुणवत्ता और पूर्णता में सुधार करने, जागरूकता बढ़ाने और लोगों को संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने तथा समय पर रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही, इसमें पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों, परिवारों, धार्मिक नेताओं, युवाओं और नागरिक समाज की भागीदारी को और अधिक गहरा बनाने पर भी जोर दिया गया है।
- एनएफएचएस के आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह की दर कम हो रही है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में यह कमी एक समान नहीं है, इसलिए इस प्रयास को जारी रखना जरूरी है। यह 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य और एसडीजी लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न: 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान और बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. एनएफएचएस-5 (2019-21) की तुलना में एनएफएचएस-6 (2023-24) के आंकड़ों के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के अनुपात में कमी आई है जिनका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हुआ था।
2. 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान का उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा नहीं है, बल्कि यह बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली बाधा है।" इस कथन के आलोक में, 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की प्रमुख रणनीतियों और इसके तहत हासिल की गई प्रगति का मूल्यांकन करें। *(250 शब्द)*

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

Social Welfare

कैंसर की सस्ती दवाएं : नए सीमित मार्जिन का मरीजों पर क्या होगा असर

प्रविष्टि तिथि: 06 NOV 2026 14:12 PM

137 एंटी-कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य का 30% तक सीमित किया गया

भारत सरकार की प्राथमिकता हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने पेटेंट प्राप्त दवाओं सहित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30% तक सीमित कर दिया। संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। 4 नवंबर, 2026 तक, 70 कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी की घोषणा की थी, जिसमें सबसे अधिक 96.45% की कमी और 3,357.49 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत दर्ज की गई थी। एमआरपी में औसतन कमी 20% से 70% तक है।

MRP − RP

कैंसर की दवाओं की कीमतों में औसतन 20% से 70% तक की कमी आई

- भारत में कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने देश भर में खुदरा और अस्पताल फार्मेसियों सहित दवा आपूर्ति की कड़ी में अधिक मार्कअप पर सीमा लगा दी है।
- कंपनियों ने एमआरपी में औसतन **20% से 70%** तक की कमी दर्ज की है। सबसे अधिक कमी **96.45%** दर्ज की गई (4 नवंबर, 2026 तक)।
- इन एमआरपी में कमी के कारण, अनुमानित बचत **3,357.49 करोड़ रुपये** है (4 नवंबर, 2026 तक)। यह अनुमान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक बेची गई मात्रा पर लागू मूल और संशोधित कीमतों के बीच के अंतर को दर्शाता है।
- यह सीमा कैंसर रोधी दवाओं के **अधिकतम खुदरा मूल्य** (एमआरपी) और **खरीद मूल्य के बीच अंतर** को लेकर राज्य अधिकारियों, रोगियों और नागरिकों की ओर से उठाई गई चिंताओं के उत्तर में निर्धारित की गई है।
- उपभोक्ता **एनपीपीए वेबसाइट** और आधिकारिक **फार्मा सही दाम** मोबाइल ऐप दोनों का उपयोग करके कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं।
- नई कीमतें मार्च 2026 के वितरक मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

व्यापार मार्जिन क्या है?

व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो निर्माता की ओर से स्टॉक रखने वाले/ वितरक से ली जाने वाली कीमत और किसी दवा के लिए रोगी की ओर से भुगतान की जाने वाले अधिकतम मूल्य (एमआरपी) के बीच होता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं होता है। जब यह व्यापार मार्जिन बहुत अधिक होता है, तो आपूर्ति श्रृंखला में भारी मुनाफा जुड़ जाता है। इससे **रोगियों के लिए अंतिम लागत** बहुत बढ़ जाती है, जिससे पहले से ही महंगी कैंसर की दवाएं निर्माता की ओर से बेची जाने वाली कीमत से कहीं अधिक महंगी हो जाती हैं।



दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जाता है

- मरीजों के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013** के अंतर्गत दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।

- यह **आवश्यक वस्तु अधिनियम के जनादेश** के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना, मुनाफाखोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी उपचार किफायती बने रहें।

- डीपीसीओ, 2013 के अनुसार दवाओं को दो समूहों में बांटा गया है:
  - **अनुसूचित दवाएं:** ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल हैं, जो राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम), 2022 है। सरकार इनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। एनएलईएम 2022 में **388 दवाएं** सूचीबद्ध हैं, **जिनमें से 63 कैंसर रोधी दवाएं हैं।**
  - **गैर-अनुसूचित दवाएं:** ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल नहीं हैं। अनुसूचित दवाओं के उलट, जिनकी अधिकतम कीमत तय होती है, इनका विनियमन मूल्य निगरानी के माध्यम से किया जाता है: डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, एक निर्माता बारह महीने में एमआरपी को 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, और यदि बढ़ोतरी 10% से अधिक हो जाती है, तो अगले बारह महीने के लिए कीमत को वापस 10% के स्तर पर लाना होगा।

- इन निर्धारित आवश्यक दवाओं के साथ-साथ अन्य दवाओं की उच्च कीमतों पर ध्यान देने के लिए, सरकार ने 2019 में **42 गैर-निर्धारित कैंसर-रोधी दवाओं** को कवर करते हुए एक व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) हस्तक्षेप का प्रायोगिक परीक्षण किया, जिसने रोगियों के लिए लागत को सफलतापूर्वक कम किया।

- इसी आधार पर, और खुदरा और अस्पताल की कीमतों के बीच अधिक मार्जिन और अंतर दर्शाने वाले बाजार आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी **असाधारण जनहित शक्तियों** का इस्तेमाल किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर, 2026 के अपने आदेश के माध्यम से **137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं** (पेटेंट वाली दवाओं सहित) को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के अंतर्गत लाया।

राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची क्या है?

- **राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम)** भारत के लिए जरूरी, उच्च प्राथमिकता वाली दवाओं की एक आधिकारिक सूची है। इसका नवीनतम संशोधित संस्करण, एनएलईएम 2022, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने **13 सितंबर, 2022** को सरकार के **"सबको दवाई, सस्ती दवाई"** के दृष्टिकोण के तहत जारी किया गया था।
- **इतिहास:** इसे पहली बार 1996 में बनाया गया था, फिर 2003, 2011, 2015 और 2022 में अपडेट किया गया।
- **किसने बनाई:** स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन्स (एसएनसीएम) नामक एक विशेषज्ञ पैनल ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों से बात करने और डब्ल्यूएचओ मानकों की जांच करने के बाद इसे बनाया।

- **यह सूची क्यों जरूरी है**
- कम लागत: परिवारों के लिए चिकित्सा संबंधी खर्चों को कम करने में सहायक।बेहतर स्वास्थ्य सेवा: दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।बेहतर योजना: सरकारी खरीद, अस्पताल बजट, स्वास्थ्य बीमा और मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

- **आदेश के पीछे कानूनी शक्ति: डीपीसीओ, 2013 का पैराग्राफ 19**
- सरकार के लिए विशेष शक्तियां: असाधारण परिस्थितियों में, सरकार मानक नियमों से परे जनहित में कार्रवाई कर सकती है।मूल्य निर्धारण या बदलाव: सरकार को किसी भी दवा के लिए अधिकतम (सीलिंग) मूल्य या खुदरा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, जब तक वह इसे आवश्यक समझती है।पहले से तय कीमत में बदलाव: यदि कोई कीमत पहले से तय हो चुकी है, तो सरकार थोक मूल्य सूचकांक से जुड़े सामान्य वार्षिक संशोधन की प्रतीक्षा किए बिना, इसे सीधे बढ़ा या घटा सकती है।

नई व्यवस्था कैंसर की दवाओं पर व्यापार मार्जिन को कैसे सीमित करती है

- **व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य का 30% तक सीमित:** व्यापार मार्जिन (निर्माता की ओर से वितरक से ली गई राशि और रोगी द्वारा भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर) 30% से अधिक नहीं हो सकता।
- **सभी रूपों पर लागू:** यह नियम नीचे सूचीबद्ध सभी कैंसर-रोधी दवाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी खुराक या रूप कुछ भी हो (गोलियां, इंजेक्शन आदि) और चाहे वे अकेले बेची जाएं या साथ में।
- **मार्च 2026 की कीमतों के आधार पर:** इस गणना के लिए प्रारंभिक मूल्य **मार्च 2026** तक वितरक मूल्य (स्टॉक रखने वाले/ वितरक को मूल्य) होना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: कैंसर की दवाओं के मूल्य नियंत्रण और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने पेटेंट प्राप्त दवाओं सहित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सीमित कर दिया है।
2. ये संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होने हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "भारत में कैंसर उपचार की उच्च लागत मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है।" राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को सीमित करने के हालिया निर्णयों के आलोक में, स्वास्थ्य सेवा में वहनीयता (Affordability) और सुलभता को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐसे कदमों के महत्व का मूल्यांकन करें। *(250 शब्द)*

महत्वपूर्ण तथ्य

Air pollution spikes 200 times above WHO limits in Delhi during Deepavali

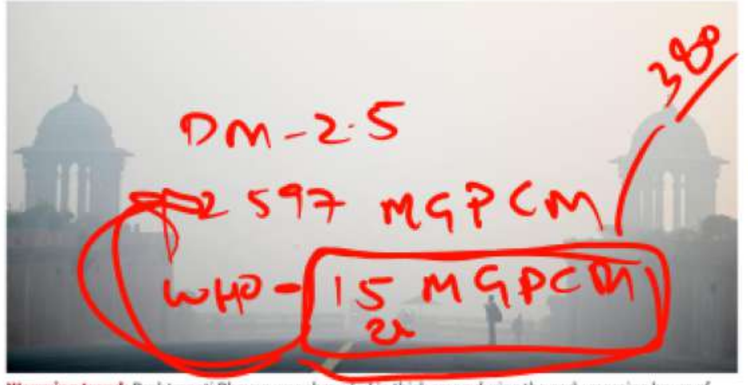
Data missing from several monitoring stations at the peak of air pollution during the intervening night of Nov. 8 and 9; AAP accuses BJP govt. of 'data fraud', the latter hits back alleging stubble burning 'conspiracy' by AAP-governed Punjab, which recorded 1,152 stubble burning incidents on Sunday

Nikhil M. Babu
NEW DELHI

As Delhiites burst firecrackers well past the 10 p.m. deadline set by the Supreme Court for Deepavali night, air pollution shot up to over 150-200 times World Health Organisation (WHO) limits in parts of the city, but fell through the early morning hours of Monday due to better weather conditions, show official data.

At the peak of pollution, following the bursting of firecrackers on Sunday night, crucial air quality data were missing from several monitoring stations managed by government authorities. Experts say missing data on peak values of air pollution will artificially show better air quality than the reality.

Though the Supreme Court allowed only green firecrackers during fixed windows on November 7 and 8, traditional firecrackers, which are more polluting, were also available in the markets of Delhi.



Worrying trend: Rashtrapati Bhavan was shrouded in thick smog during the early morning hours of Monday after Deepavali celebrations in New Delhi. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

As per the Delhi government's Delhi Pollution Control Committee (DPCC) data, the level of PM2.5 (a major pollution) in Patparganj of East Delhi was 2,597 micrograms per cubic metre at 1 a.m. on Monday – about 173.13 times the WHO permissible limit of 15 micrograms per cubic metre for a 24-hour period.

Similarly, the level of PM2.5 on NSUT West Campus was 3,008.4 micrograms per cubic metre at 5 a.m. on Monday – about 200.5 times the WHO permissible limit. PM2.5 (Particulate matter 2.5) are fine inhalable particles, which can get into lungs and bloodstream and lead to a range of respiratory and other diseases.

Favourable wind

Gufran Beig, chair professor, National Institute of Advanced Studies, said though the air pollution spiked around 12 midnight on Sunday to 5 a.m. on Monday due to bursting of firecrackers on Deepavali, both wind direction and speed were very favourable for faster dispersion of air pollution.

"The wind direction was earlier north westerly, originating from stubble burning areas in Punjab and Haryana. But around Sunday afternoon, it changed to easterly and south easterly and also picked up speed by Sunday evening. The reversal of wind direction led to almost negligible effect of stubble burning in Delhi," said Mr. Beig, who is also the founder-director of the Central government's SAFAR (System of Air Quality and Weather Forecasting Research).

The 24-hour average overall Air Quality Index (AQI) of Delhi stood at 344 ("very poor") at 4 p.m. on Monday, lower than 376 ("very poor") a day earlier, according to the CPCB's daily bulletin, which is considered the day's AQI. A higher AQI means worsening of air quality. The overall AQI of Delhi which stood at 370 (very poor) at 9 a.m. on Monday, improved through the day to reach 344 by 4 p.m.

Meanwhile, both the AAP and the Congress attacked the BJP government over the missing data, with the former alleging that it was "data fraud". Hitting back, Delhi Labour Minister Kapil Mishra alleged there was a "conspiracy" by AAP-governed Punjab to set stubble on fire on Sunday evening.

Every winter, air pollution spikes in Delhi-NCR and many parts of the larger Indo-Gangetic Plains, mainly due to meteorological factors such as lower wind speeds and a drop in temperature. Also, pollution from stubble burning during October and November and bursting of firecrackers during the festive season add to existing pollution from vehicles and dust, worsening the air quality.

Stubble burning

Meanwhile, Punjab recorded 1,152 stubble burning incidents on Sunday – the highest this paddy harvest season, according to the Indian Agricultural Research Institute's (IARI) daily bulletin. But it dropped to 198 on Monday, taking the total this harvest season to 4,657, the second lowest since 2020 (till November 9), the data show.

The contribution of stubble burning in neighbouring States to PM2.5 (a chief pollutant) in Delhi on Sunday was 5.1%, according to the Union Ministry of Earth Sciences data.

YouTube Homework

- DPCC
- CPCB
- SAFAR
- PM-2.5
- PM - 10

GRAP

महत्वपूर्ण तथ्य

How AI is reshaping China's universities

AI disruption and a tightening job market are driving a sweeping change across China's universities; under the government's 'guideline on the reform of higher education institutions', universities will now be tasked with specific goals, pursuing either research, application-oriented objectives, or skills development

WORLD INSIGHT

Ananth Krishnan

The story so far:
In September 2026, China's government unveiled an ambitious 10-year plan to reform its universities. Driving the change is an increasingly challenging job market for the country's close to 13 million college graduates, who are facing the twin disruptions of AI and a slowing economy. Under the plan, dozens of graduate programmes are being disbanded, while universities themselves will be categorised and tasked with either pursuing research, applications or skills developments.

What is driving education overhaul?
A combination of factors, some not too dissimilar to the current challenges in India's own job market, has left policymakers grappling with a tepid job market and a vast number of graduates facing dim job prospects. Top of the list is a mismatch in skills between graduates and what companies are seeking. Depressed economic sentiment has also led companies to cut back on hiring, with the prolonged structural slowdown in the real estate market dragging down growth. AI is the third disruptive force, changing rapidly how the marketplace views and values skills.

One in five young Chinese is unemployed. According to data from China's National Bureau of Statistics in September, the jobless rate in the 16-24 age group (excluding students) was 18.9% in August, up from 17.9% in July.

How will the plan change higher education in China?
The Chinese government's "guideline on the reform of higher education institutions", released in September 2026, calls for universities "to pursue distinct development paths" and "foster new forms of integrated education to explore innovative approaches to nurturing top talent."



The government's guideline directs universities to 'pursue distinct development paths'. GETTY IMAGES

The main objective is differentiation. Universities will now be tasked with specific goals, pursuing either research, application-oriented objectives, or skills development.

China has more than 3,000 higher education institutions. Each of these will now be slotted into one of the three categories: research, applications or skills.

The problem of too many universities offering similar programmes and producing too many of the same kind of graduates has been cited as a major reason for differentiation. The disruption in the job market from AI, which is already widely being integrated across different industries in China, is another.

At the top end of the pyramid, the country's top research universities will be freed up to focus on, as the guideline says, "driving major breakthroughs in science and technology".
Application-oriented institutions will be tasked with emphasising "practice-oriented talent, industry-education integration, technological innovation and research commercialisation." Finally, the institutions aimed at developing skills will "serve as a mainstay for cultivating master craftsmen and highly skilled professionals, with a focus on employment-oriented training and support for the development of a modern industrial system."

Liu Zhentian, an expert on China's education system at Xiamen University, described the objective as not aimed at "labelling universities" but, as he told official media, "creating a rational division of functions among higher education institutions and their respective missions".

How will this impact students and how has the plan been received?
The restructuring will be implemented in the current Fifteenth Five-Year Plan (2026-2030) and completed by the end of the Sixteenth Plan (2031-2035), by when the goal is to establish China as a "leading nation" in education. China in 2024 launched an 11-year master plan on "building China into a leading country in education" by 2035.

Besides reorganising the roles of universities, the degree programmes within each university are also in the midst of a major adjustment. The Ministry of Education said last year that in the four-year period leading up to 2025, as high as 30 per cent of the degree programmes offered at Chinese universities had been reshuffled, with 10,200 new degree programmes added while 12,200 were cancelled.

A focus of additions has been AI, semiconductors, robotics and advanced manufacturing, while many of the deletions are in the humanities or in programmes related to streams such as interpretation, that have been impacted by AI.

The deletions have divided opinion. The Communication University of China, a leading university in Beijing related to the arts, said it had suspended more than a dozen tracks including translation, sociology and photography. It also scaled back its journalism programme – one of the largest in China – and is reviewing the dozens of degrees it had previously awarded in interpretation and foreign languages. The university will no longer offer five degrees in the arts, including photography, visual communication design and fashion design, while it introduced new undergraduate programmes including intelligent audiovisual engineering.

The decision sparked widespread debate in China, given that the university has produced some of the country's best known journalists and foreign language scholars. It will soon no longer be training students in those disciplines. Universities are also scaling back programmes such as accounting and some elements of computing that are being rendered irrelevant by AI.

The response has been mixed. Some lament what they see as the death of humanities and liberal arts, and a pivot away from focusing on a foundation for educating students in critical thinking, viewing the transformation as being too focused on the short-term instead of considering longer term consequences. Others argue that change is inevitable, and the phasing out of disciplines is a necessary response to technological disruption. "We all sighed at the news, but there weren't any strong emotions," a photography student told the Chinese publication Sixth Tone. "For me, using AI is simply switching to another creative medium or tool. What matters more is my own thinking."

THE GIST

- In September 2026, China unveiled an ambitious 10-year plan to reform its universities, driven by an increasingly challenging job market for the country's nearly 13 million college graduates
- The restructuring will be implemented during the current 15th Five-Year Plan (2026–2030) and completed by the end of the 16th Plan (2031–2035), with the goal of making China a "leading nation" in education

YouTube Homework

- AI
- Anthropic
- Mythos

महत्वपूर्ण तथ्य

- **पृष्ठभूमि:** सितंबर 2026 में, चीन ने अपने विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी 10-वर्षीय योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य कारण एआई (AI) का बढ़ता प्रभाव और सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच लगभग 1.3 करोड़ कॉलेज स्नातकों के लिए चुनौतीपूर्ण जॉब मार्केट है।
- **विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन (3 श्रेणियां):** सरकार के नए दिशानिर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों को तीन विशिष्ट लक्ष्यों (शोध, अनुप्रयोग-उन्मुख, या कौशल विकास) में विभाजित किया जा रहा है।
- **कोर्सों में बदलाव:** एआई, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नए डिग्री प्रोग्राम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मानविकी (Humanities), फोटोग्राफी और अनुवाद जैसे कई पारंपरिक कोर्सेज को कम या बंद किया जा रहा है।
- **प्रतिक्रिया:** इस बदलाव पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप और आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) का अंत मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे तकनीकी बदलाव के अनुसार एक अनिवार्य कदम बता रहे हैं।

- **UGC**
- **VBSA**

महत्वपूर्ण तथ्य

A case for Nepal: suing major carbon emitters for floods



Manoj Kumar Sinha

V-C of Dharmasashtra National Law University, and president of Indian Society of International Law (ISIL)



Anwar Sadat

Associate Professor in international environmental law at ISIL

The catastrophic floods in Nepal which resulted in the deaths of thousands of people in August 2026, is overwhelmingly attributed to climate change. This is yet another worst-case climate change scenario from South Asia, after the floods in Pakistan in 2022.

A debate that has not drawn much attention so far in this part of the world is that there is scope to explore and establish the flood victims as victims of climate wrongs. The case for the Nepalese people needs to be analysed from the prism of climate litigations used by plaintiffs in many jurisdictions of Europe and the U.S. in the last two decades.

These plaintiffs, who were exposed to climate-related risks, have brought claims against state and private corporations on the ground of serious risks to life, well-being, health, property, privacy and disruption of family life. Though the plaintiffs have not turned out to be winners in these proceedings every time, the challenge itself has been eye-opening.

Legal reasoning

In a strict legal sense, it is extremely difficult to establish causation between a defendant's (such as a state or private corporation living miles away) failure to take appropriate measures restricting the emission of Greenhouse Gases (GHG) and the flood victims in those districts of Nepal bordering Tibet.

While climate wrongs harm society, they do not harm specific individuals or a group of individuals in a sufficiently direct and proximate way. The logic that is widely accepted now is that the failure to take appropriate measures by an entity makes an incremental contribution to global cumulative GHGs, which diffuse and leave global and lingering effects on the likelihood of adverse physical events. The impact of such events is itself dependent on extraneous factors such as exposure, vulnerability and resilience.

While climate wrongs harm society, they do not harm individuals in a sufficiently direct and proximate way

The identification of the victims exposed to risks in contrast to the 'general' population is needed to describe that specific group as victims of climate change. This gives them the standing to sue – to justify their invocation of individual or group rights and consider claims for compensation.

The people living in the Tibet-Nepal border area, specifically those living in the Trishuli and Bhote Koshi river basins area of Nepal, have been exposed to Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) over the last three decades. Scholarship focusing on the Tibetan Autonomous Region is of the view that since 2010 both the area and the number of glaciers is retreating at a faster rate than before. Climate scientists predict that the mountain glaciers will lose most of their volume by the end of the 21st century, placing alpine ecosystems and human population at risk. These climate-linked physical events, which were present prior to the flood, could possibly fulfil the normative threshold of the imminence of a catastrophe.

Holding emitters accountable

The case that merits attention in this context is the *Lliyua vs RWE* case which established that it is possible to causally link the GHG emissions of one large emitter to a concrete risk of life and property in a country that is 5,000 miles away. In the case, Lliyua, a Peruvian national, sued RWE (a German energy provider company headquartered in Germany) under a German private nuisance law on the ground that the company's past and present coal-fired power generation is responsible for huge quantities of CO_2, which reduced the stability of glaciers near his home.

In an important judgment, the Higher Court of Appeal in Hamm on May 28, 2025 ruled that RWE can be held legally responsible in principle, though the specific claim was dismissed due to inadequate proof of an imminent risk. The court accepted that past individual climate harms can proportionally contribute to climate risks and it also upheld that German civil law can apply to transboundary climate harms. This, in effect, amounts to saying that long distance and global scale do not automatically shield a corporation from liability.

In *Milieudefensie et al vs Royal Dutch Shell* (November, 2024), the Dutch Court of appeal confirmed under Dutch tort law principles that companies which contribute significantly to climate change and have it within their power to contribute to combating it, have an obligation, as per the general duty of care under Dutch law and human rights standards, to limit GHG emissions to counter climate change.

The climate lawsuit brought by four Indonesian islanders against Holcim, a Swiss building material giant, in the Swiss Cantonal Court of Zug (*Asmania vs Holcim*) is also quite relevant. Here, the plaintiffs sought a reduction of GHGs as well as compensation for present and future damages against Holcim's excessive CO_2 emissions.

Although there is no rule of binding precedent, it is still advisable for the flood victims of Nepal to use the channel of litigations against major GHG emitters, as there is growing judicial awareness of the duties owed by large emitters in responding to the threat of climate change.

महत्वपूर्ण तथ्य

- **नेपाल में बाढ़ और जलवायु परिवर्तन:** अगस्त 2026 में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जिसके चलते तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्र (जैसे त्रिशूली और भोटे कोशी नदी बेसिन) के लोग हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOFs) का सामना कर रहे हैं।
- **जलवायु मुकदमेबाजी (Climate Litigations):** यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर अब नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के पास भी बड़े कार्बन उत्सर्जकों (कंपनियों और सरकारों) के खिलाफ कानूनी मुकदमे दायर करने का विकल्प है।
- **कानूनी चुनौतियां और मिसालें:** हालांकि किसी दूर बैठे उत्सर्जक और बाढ़ के बीच सीधा संबंध स्थापित करना कानूनी रूप से कठिन है, लेकिन जर्मनी (RWE केस) और नीदरलैंड (शेल केस) जैसे देशों के हालिया अदालती फैसले यह साबित करते हैं कि बड़ी कंपनियों को जलवायु क्षति के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

विकास विनाश।

महत्वपूर्ण तथ्य

Karnataka Minister defends method of testing E20 petrol

Rizwan Arshad slams oil firms for claiming the tests were not done as per procedure; he adds that it was the OMC laboratories' failure to provide ethanol percentage in results that raised suspicion

Rashmi Patil
BENGALURU

Karnataka Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Rizwan Arshad on Monday said that he stood by the test reports on ethanol blending in petrol that were released on Friday. The test results had showed ethanol blending levels of more than 20% in the E20 petrol.

Addressing pressperson on Monday, Mr. Arshad said, "We stand by our test reports as the tests were done as per the prescribed procedure in laboratories recognised by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), which is a constituent board of the Quality Council of India (QCI)."



Congress workers staging a protest in Bengaluru on Monday over claims of excess ethanol blending in petrol. J. ALLEN EGENUSE

He added, "The OMCs' release is more about technicalities, but they have failed to answer how much ethanol is in the petrol at our pumps."

He slammed the oil companies for stating that the samples were not tested as per the prescribed procedure and that the laboratories used for testing were not those specified under the order.

"The initial 63 samples were first given to the OMCs' own laboratories at IOCL, BPCL and HPCL for testing. Not one of their test reports stated the ethanol percentage. It was the OMC laboratories' failure to provide the required result that raised suspicion. On no grounds can the State's tests be discredited for this," he said.

Responding to the statement that the problem exists only in samples collected from particular petrol pumps, he said, "The OMCs' own statement says ethanol blending is 'a controlled and automated process' carried out at their refineries and depots. A dealer only sells what the tanker delivers and has no role in the blend. The excess ethanol found is a failure at the source, and the responsibility lies with the OMCs alone."

T.N. may be heading for a water crisis, unless monsoon comes to its rescue

T. Ramakrishnan
CHENNAI

Tamil Nadu may be in for a spell of water crisis and lower rice production this time if the current North-east monsoon does not come to its rescue.

As of now, the aggregate storage in the major 15 irrigation reservoirs is about 35% of the combined capacity of the reservoirs. In the corresponding period last year, it was around 88%. The State's largest dam, Mettur, has about 24.7 thousand million cubic feet (tmcft) but this is hardly enough for the authorities to maintain sustained release of one tmcft a day to farmers, beyond a week, in the Cauvery delta.

The rainfall during the Northeast monsoon has been moderate, as the State received around 248 mm of rainfall during October 1 to November 8 against the anticipated 236 mm. It should get at least 260 mm more to be considered comfortable, the most of which should materialise in November. Ordinarily, December yields only about 20% of the total rainfall of the monsoon.

In fact, the existing pattern of rainfall registered by the State so far during the season appears to be more in tune with the forecast made by the Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), which, in late September, predicted that the State would get 438 mm during the entire monsoon against the normal 434 mm, a deviation of one per cent.

The Meteorological department, in its outlook at the beginning of October for the season, referred to the southern peninsular region of the country in general and stated that the expected rainfall "is most likely to be normal (88%-112%) of the Long Period Average."

The TNAU, which was more specific in its forecast than the Meteorological Department, had anticipated only a normal rainfall for the core delta districts. Despite the water availability at Mettur not being comfortable and the expectation of a subdued rainfall, farmers have gone in for raising paddy during the *samba-thaladi* cultivation season to the tune of around 3.62 lakh hectares. Of this, nearly 50% falls under "direct sown" category of cultivation, which means that seeds are directly sown instead of transplantation. This method is followed during times of water shortage.

As part of its efforts for protecting the crop in the delta, the State government, at meetings of the Cauvery Water Regulation Committee and the Cauvery Water Management Authority on Friday last, demanded that Karnataka release around 20.7 tmcft, including the backlog of about 16.9 tmcft.

महत्वपूर्ण तथ्य

Commercial farming in forest land is not protected in FRA: SC

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court has made it clear that commercial crop cultivation within reserve forest areas is not protected under the Forest Rights Act (FRA), 2006.

The court has distinguished commercial cultivators and plantation owners from forest-dwelling Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers, who have lived in forests for generations and depend on them for livelihood. Their rights are protected under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, commonly known as the FRA.

A Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta recorded the court's view in an order concerning extensive silk cotton cultivation within the reserve forests of the Agasthyamalai Biosphere Reserve. The court, in its November 6 order, directed the Central Empowered Committee to examine the Tamil Nadu government's opinion that silk cotton was a 'minor forest produce'. At present, 3,637.83 hectares of the 5,072.64 hectares of forest land are under silk cotton cultivation.

The Bench made clear its *prima facie* view against the State's claim of historical cultivation of silk cotton. "What emerges from the government affidavits is the promotion and sponsored cultivation of silk cotton as a commercial crop...



The Bench made its *prima facie* view clear against Tamil Nadu's claim of historical cultivation of silk cotton. REPRESENTATIVE IMAGE

The concept of planned cultivation of commercial crops is totally contrary to the very concept of a naturally occurring minor forest produce," the apex court noted.

'Not permissible'

"We are of the prima facie view that planned or promoted cultivation of a commercial crop inside the forest areas is completely impermissible, as no such right is recognised under the FRA, 2006. The Act recognises the right of forest dwellers to collect, use and dispose of minor forest produce in accordance with Section 3(1)(c). The cultivation of a commercial crop cannot, therefore, be recognised as a forest right so as to justify occupation or continued presence within the forest area," the Bench said.

"If commercial crops are permitted to be cultivated in the forest areas, the very nature of the forest is bound to change," Justice Mehta, who authored the order, observed.

महत्वपूर्ण तथ्य

- Forest Rights Act (FRA), 2006 (वन अधिकार अधिनियम, 2006) भारत का एक ऐतिहासिक कानून है जो वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है। पिछले उत्तर की तरह यह कंटेंट भी पूरी तरह बिना किसी लिंक के है, ताकि आप इसे आसानी से कॉपी-पेस्ट कर सकें:

यह कानून कब बना?

- पारित होने की तारीख: यह कानून भारतीय संसद द्वारा 18 दिसंबर 2006 को पारित किया गया था।
- लागू होने की तारीख: इसे आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2008 को अधिसूचित (अमल में लाया) किया गया था।
- पूरा नाम: इसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006] है।

किस मंत्रालय ने बनाया?

- यह कानून भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs - MoTA) द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया गया है। यह मंत्रालय देश में इस कानून को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।

कानून का मुख्य उद्देश्य (Objective)

- ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना: औपनिवेशिक काल (अंग्रेजों के समय) और स्वतंत्रता के बाद की वन नीतियों के कारण वनवासियों के साथ जो "ऐतिहासिक अन्याय" हुआ था (उनकी जमीनों को सरकारी घोषित कर दिया गया था), उसे सुधारना।
- आजीविका और खाद्य सुरक्षा: वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD) की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वनों का संरक्षण: वनवासियों को अधिकार देकर वनों के संरक्षण और जैव-विविधता (Biodiversity) के प्रबंधन में उनकी भागीदारी को मजबूत करना।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

- इस कानून के तहत वनवासियों को मुख्य रूप से चार प्रकार के अधिकार दिए गए हैं:

1. व्यक्तिगत वन अधिकार (Title Rights / Individual Rights):

- जो वनवासी 13 दिसंबर 2005 से पहले से वन भूमि पर खेती या निवास कर रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक (पट्टा) दिया जाता है।
- यह अधिकार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए मिल सकता है। यह जमीन केवल परिवार की आजीविका के लिए है, इसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

2. उपयोग के अधिकार (Use Rights / Community Rights):

- इसके तहत वनवासियों को लघु वन उपज (Minor Forest Produce - MFP) जैसे—महुआ, तेंदू पत्ता, शहद, मोम, जड़ी-बूटियां आदि को इकट्ठा करने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार मिलता है।
- इसके अलावा उन्हें चरगाही (पशु चराने) और जल निकायों (मछली पकड़ने आदि) का उपयोग करने का अधिकार भी मिलता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights):

- ग्राम सभाओं को अपने पारंपरिक सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जीवित, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, ताकि वे अपने वनों को बाहरी खतरों से बचा सकें।

4. राहत और विकास के अधिकार (Relief and Development Rights):

- यदि किसी वन्यजीव संरक्षण परियोजना के कारण वनवासियों को विस्थापित (हटाया) किया जाता है, तो उन्हें पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार मिलता है।
- स्कूल, अस्पताल, सड़क, आंगनवाड़ी जैसी बुनियादी सामुदायिक सुविधाओं के लिए वन भूमि का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

अधिकार तय करने की प्रक्रिया (Gram Sabha's Role)

- इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया ग्राम सभा के स्तर से शुरू होती है।
- ग्राम सभा ही सबसे पहले यह तय करती है कि किस व्यक्ति या समुदाय को कौन सा वन अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद इस सिफारिश की जांच अनुमंडल (Sub-division) और जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

At COP31, 'overshoot' narrative cannot replace climate action

No COP decision has referred to the quantitative value of the total or remaining carbon budget nor has it discussed which countries have spent it the most; if COP31 is to deliver real impetus to climate action, it must focus on accountability for emissions and the fulfilment of finance commitments

Ankita Ranjan
Tejal Kanitkar



The focus on creating narratives and coining buzzwords has obscured legitimate scientific discussions at successive COPs. AFP

The 31st Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP31) kicked off in Antalya, Turkiye, on Monday, in a year marked by extreme weather events, terrible human tragedy, as well as a severe energy crisis entered its final stretch. It is also the year in which the world is preparing to officially accept that we will exceed a warming level of 1.5 degrees Celsius.

The natural corollary to this unassailable reality is that countries should strive to collectively limit warming to as little over 1.5 degrees Celsius, and as below 2 degrees, as possible. This requires scientific discussions, assessment of options, and a critical analysis of the trade-offs. However, what we have instead is another buzz word: "overshoot".

Overshooting something is typically taken to mean passing swiftly (or mistakenly) past an intended point. But in the case of "1.5 degrees Celsius overshoot", it means passing the point in the near term and returning to it by the end of this century.

The term emerged in the climate modelling literature and countries are now seamlessly importing it into political discussions to ensure that the 1.5-degree target remains perpetually alive, at least on paper if not in reality. And just as "net-zero" was the flavour of the COP26 summit in Glasgow, "overshoot" is likely to be the flavour at COP31 – and could once more help some countries avoid the real issues.

Unmet obligations

The years since the Paris Agreement came into effect have passed in a flurry of ambition discourse, including terms like "net-zero targets", "keeping 1.5 degrees alive", and "transitioning away from fossil fuels".

But in stark contrast is the real action by countries most responsible for climate change as well as which are the most economically developed. In 2025, fossil fuels still accounted for about 83% and 73% of primary energy use in the U.S. and the European Union respectively. Having exited the Paris Agreement twice, the U.S. has proposed opening nearly 1.3 billion acres of its waters to offshore drilling. Norway has offered 70 new oil and gas exploration blocks, including in the Arctic, while the United Kingdom has approved the Jackdaw gas field. Germany and the Netherlands have likewise cleared gas drilling near the Wadden Sea, a UNESCO World Heritage site. Australia, which will preside over the COP31 negotiations, has itself approved 37 fossil fuel projects since 2022.

In the same vein, the low ambition on climate finance is being outdone only by its even poorer delivery, with some governments even cutting down on what they have pledged. Developed countries reported mobilising around $137 billion in climate finance in 2024. However, its true value has been estimated to be only $33-48 billion, with 65% of public finance provided as loans. The U.S. has since also rescinded $4 billion in pledges to the Green Climate Fund while the U.K. has almost halved its contribution.

Adaptation finance also fell to $26 billion in 2023, against a need of at least $310-365 billion every year by 2035.

Further, unilateral trade measures such as the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) target iron, steel, cement and aluminium – sectors central to industrial development. In effect, the economically developed countries are backtracking on their own obligations as well as penalising the industrialisation the Global South needs.

The narrative of "overshoot" will only deepen this imbalance because the promise of a future decline in global warming rests on uncertain science as much as on the land and resources of the Global South.

Integrity of overshoot

The United Nations Environment Programme (UNEP) recently released a report titled Limiting Overshoot: Navigating Exceedance of 1.5 degrees Celsius and Pathways towards Return. It discussed the immense scale of net-negative emissions required to keep the earth's average surface temperature from warming by more than 1.5 degrees Celsius. The report found that reversing just 0.1 degrees of warming would require countries to permanently remove 220 billion tonnes of carbon dioxide (CO_2) from the atmosphere – a quantity that the world currently emits – in five years.

The world removes about 2.2 billion tonnes of CO_2 annually, almost entirely through forests and soils, while direct air capture barely removes 2 million tonnes, and scaling it up could still impose a cost of $600 per tonne of CO_2 removed. Also, removing a tonne of CO_2 may not undo the warming caused by emitting it, at the same rate or in the same proportion.

However, the UNEP report is silent on who should undertake and pay for these removals and on whose land they will happen. National pledges already rely on nearly 1.2 billion hectares of land for CO_2 removal – most of which is located in the Global South.

Rich countries are also already outsourcing their mitigation obligations. Switzerland, for example, plans to meet up to one-third of its 2030 target by purchasing credits from projects abroad, including through cookstoves in rural Ghana, whereas its own emissions were only 22% below 1990 levels in 2024 against a 50% target by 2030. In the U.S., an oil company selected for federal funding for a direct air capture hub has described the technology as giving the industry "a license to continue to operate for 60, 70, 80 years" more.

Without clearly allocating responsibility, the "overshoot" narrative will turn the land that the Global South needs for food, livelihoods, and development into sinks for the excess emissions of the Global North.

Back to basics

The focus on creating narratives and coining buzzwords has obscured legitimate scientific discussions at successive COPs.

No COP decision has referred to the quantitative value of the total or remaining carbon budget nor has discussed which countries have spent it the most. If COP31 is to deliver real impetus to climate action, its decisions must revert to the basics.

The first is immediate, deep, and sustained mitigation by the developed countries. Given their historical overuse of the carbon budget, developed countries must reach net-zero well before 2050 and achieve net-negative emissions within their own borders. They must not bank on the forests still standing in developing countries to continue to be net-positive emitters.

Second, developing countries urgently need predictable, grant-based public finance from developed countries. They do not need loans or private investments. The Climate Finance Work Programme agreed at Belém, in Brazil, last year must take shape in Antalya this year and provide clear political guidance on implementing Article 9.1 of the Paris Agreement: on the obligation of developed countries to finance climate adaptation and mitigation in developing countries.

Country representatives at the summit must also discuss, frankly, the intellectual property and other barriers that result in technology being sold at premiums rather than being transferred.

Finally, any discussion of "overshoot pathways" must clearly explain the term as well as acknowledge the associated carbon budget, historical emissions, scientific uncertainties, feasibility constraints, and consequences on livelihoods, food security, biodiversity, and indigenous communities.

The world needs scientific, equitable, and fair climate action – not rhetoric.

(Ankita Ranjan is a Research Associate at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru. Tejal Kanitkar is an Associate Professor at the Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai. ankita@nias.res.in, tejal@nias.res.in)

COP-31
1.5°C = यूएन ×
वैज्ञानिक = fossil fuel
वैज्ञानिक = T
UNEP – Limiting overshoot
(carbon market – CBAM, OCCCM)
CO2 chip
Tech – CCTS
Rich
U.K.

YouTube Homework

- UNFCCC
- UNEP
- UNDP
- IPCC

महत्वपूर्ण तथ्य

- **'ओवरशूट' (Overshoot) का विचार:** COP31 के दौरान यह माना जा रहा है कि वैश्विक तापमान 1.5°C की सीमा को पार कर जाएगा। 'ओवरशूट' का मतलब इस सीमा से आगे निकलना और फिर सदी के अंत तक तापमान को वापस कम करना है, लेकिन इस बजवर्ड (Buzzword) का इस्तेमाल असली जलवायु कार्रवाई से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- **अधूरी प्रतिबद्धताएं (Unmet Obligations):** विकसित देश उत्सर्जन कम करने और जलवायु वित्त (Climate Finance) प्रदान करने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। अमरीका, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देश एक तरफ जलवायु लक्ष्यों की बात करते हैं और दूसरी तरफ नए जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे रहे हैं।
- **असमप्रमाणता और अनिश्चितता:** कार्बन को हवा से वापस खींचने (Carbon Removal Technologies) की तकनीकें महंगी और अनिश्चित हैं। केवल 'ओवरशूट' की धारणा पर निर्भर रहने से विकासशील देशों (Global South) की भूमि और संसाधनों पर अनुचित दबाव पड़ेगा।
- **मुख्य मांगें:** विकसित देशों को 2050 से पहले ही नेट-जीरो हासिल करना चाहिए और विकासशील देशों को ऋण (Loans) के बजाय अनुदान-आधारित (Grant-based) सहायता और तकनीक हस्तांतरण प्रदान करना चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

Villages without 4G decline 75% in 4 years on BSNL's saturation project

Data obtained by *The Hindu* under RTI shows a sharp decline in the number of villages without serviceable internet speeds from 45,180 in 2022 to 11,372; reduction notable because of historical gaps in connectivity between urban and rural India

Aroon Deep
NEW DELHI



India is still far from universal smartphone ownership, even as cities and towns often enjoy extensive high-speed 5G coverage. FILE PHOTO

The number of villages without 4G connectivity has fallen from 45,180 in 2022 to 11,372, about a fourth of the earlier figure, according to data from the Department of Telecommunications (DoT) obtained by *The Hindu* under the Right to Information Act, 2005.

The reduction is partly the result of BSNL's 4G saturation project. But the figure is beyond the scheme's initial target of covering 24,680 villages, indicating complementary efforts by private operators.

The reduction is notable because of historical gaps in connectivity between urban and rural India. The country is still far from universal smartphone ownership, even as cities and towns often enjoy extensive high-speed 5G coverage and affordable wired home broadband.

The development also comes at a time when additions to wired broadband subscriptions have stagnated for months, making mobile broadband – the primary means of internet access for Indians – all the more important. The Union government has "sanctioned the next order of 26,000 [sites]," a senior official said last week. In 12 or 13 circles, BSNL's efforts have been supplemented by intra-circle agreements with Vodafone Idea Ltd. (Vi). "So, BSNL has come a long way," the official said.

Odisha topped the list of States with the highest number of villages without 4G coverage, at 1,789, as of August 31.

This figure includes over 300 uninhabited villages. Arunachal Pradesh ranked second, with 1,518 villages, roughly a tenth of which are uninhabited. The northeastern State's tally of unconnected villages was reduced by 59%, 16 percentage points less than the national average.

The next few States – Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Himachal Pradesh – have all reduced the number of villages without 4G connectivity by well over half. An analysis by *The Hindu* suggests that this year, about 40 lakh people may live in villages without 4G reception. This amounts to roughly 0.25% of India's estimated population. Scheduled Tribe-dominated villages account for the bulk of this population, the analysis found, with 46% of the population in villages whose names are found in the 2011 Census falling into this category.

The population of these villages represents 11% of the overall sample.

This estimate does not include villages that did not exist in 2011.

As there has been no nationwide Census since that year, many villages have been added and removed from the overall list.

Some entries in the newer list of villages with 4G connectivity are inconsistent with information shared by the Communications Ministry in a parliamentary response in March. For instance, while the list shared with *The Hindu* includes eight villages in Kerala, the Ministry's response reported no villages without 4G coverage in the State.

YouTube Homework

- Digital India Mission
- Bharat Net
- Optical Fiber

महत्वपूर्ण तथ्य

- **4G सेवाओं का विस्तार और कमी:** 'द हिंदू' द्वारा आरटीआई (RTI) के तहत प्राप्त दूरसंचार विभाग (DoT) के आंकड़ों के अनुसार, बिना 4G कनेक्टिविटी वाले गांवों की संख्या 2022 के 45,180 से घटकर 2026 में 11,372 रह गई है, जो लगभग 75% की भारी गिरावट को दर्शाता है।
- **BSNL की सैचुरेशन परियोजना:** यह कमी मुख्य रूप से BSNL की 4G सैचुरेशन परियोजना का परिणाम है, हालांकि यह आंकड़ा इस योजना के शुरुआती 24,680 गांवों को कवर करने के लक्ष्य से भी आगे निकल गया है, जिसमें निजी ऑपरेटरों के प्रयास भी शामिल हैं।
- **राज्यवार आंकड़े:** 31 अगस्त तक ओडिशा में बिना 4G कवरेज वाले गांवों की संख्या सबसे अधिक (1,789) थी, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (1,518 गांवों के साथ) दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने भी बिना 4G वाले गांवों की संख्या में आधी से अधिक कमी की है।
- **जनसंख्या पर प्रभाव:** विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान में लगभग 40 लाख लोग (भारत की अनुमानित आबादी का लगभग 0.25%) ऐसे गांवों में रह सकते हैं जहां 4G रिसेप्शन नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति बहुल गांव शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Hasina seeks new passport; Dhaka wants her extradition as 'terrorist'

London-based law firm seeks new documents for leader; Acting Foreign Minister of Bangladesh says Hasina is a 'terrorist' and adds India should hand her over under the extradition treaty; Minister notes that Hasina has been sentenced to death

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Hours after a legal team representing deposed Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina sought a new passport for her, the Government of Bangladesh asserted on Monday that Ms. Hasina can return to Bangladesh through an "acceptable prisoner exchange" programme under the India-Bangladesh extradition treaty.

A source in Dhaka told *The Hindu* that Ms. Hasina has requested the Ministry of Foreign Affairs, through a London-based legal firm, for a new passport and a National Identity Card.

The official said the Ministry is verifying the letter and will take a decision after internal consultations.

Document push

Bangladeshi officials were verifying a request for a fresh passport and a National Identity Card for the former PM

Sheikh Hasina had announced in August this year that she may return to her country in December despite facing serious legal challenges



Hasina's passport was revoked after she escaped to India in August 2024 after an uprising that toppled her government

A passport will be needed in case India has to consider Hasina's extradition to Bangladesh

> **Bangladesh will seek the return of Sheikh Hasina through an acceptable prisoner exchange process**
>
> **HUMAYUN KABIR,** Acting Foreign Minister

Ms. Hasina's passport was revoked after she escaped to India in August 2024 after an uprising toppled her government.

She had announced in a press conference in August this year that she may return to her country in December despite facing serious legal challenges.

Speaking to the media in Dhaka, the country's Acting Foreign Minister Humayun Kabir described Ms. Hasina as a "terrorist" who had fled to India after committing crimes.

"Bangladesh will not issue a passport to any terrorist; there is no provision for such an action. Bangladesh will seek the return of Sheikh Hasina through an acceptable prisoner exchange process," Mr. Kabir said, adding that India should hand over Ms. Hasina under the extradition treaty. The External Affairs Ministry is yet to respond to Mr. Kabir's remarks, but a source familiar with the Indian stance on the matter told *The Hindu* that the Bangladeshi position of not issuing a passport to Ms. Hasina will further complicate the matter, as a passport will be needed if India were to consider her extradition. The Acting Foreign Minister of Bangladesh added that Ms. Hasina and several of her colleagues from her Awami League party are responsible for violent crimes and financial fraud, and need to be brought to justice.

The Bangladeshi official, who spoke to *The Hindu*, said over the phone, "We have received an email from Matrix Chambers, a law firm in London, seeking a new passport for Sheikh Hasina. We are currently examining the contents of the letter and will take an appropriate step after internal consultation."

Bangladesh High Commission press secretary Md. Saidur Rahman said the Bangladesh authorities are "not sure if the request is genuine".

India had earlier acknowledged receiving Bangladesh's extradition requests for Ms. Hasina but has not announced any decision on handing her over.

YouTube Homework

- Ganga Water Treaty

महत्वपूर्ण तथ्य



Xi Jinping and Donald Trump will meet for the third time this year during the APEC meet in China next week. FILE PHOTO

Trilateral meet with Putin, Xi likely next week, says Trump

Ananth Krishnan
BEIJING

U.S. President Donald Trump has said he will likely meet Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin in a rare trilateral leaders' meeting on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) gathering in Shenzhen next week.

Beijing said on Monday it was "in communication with relevant parties" over the meeting, not ruling out the possibility as leaders gather for the APEC summit in the southern Chinese city on November 18 and 19.

Mr. Trump on Sunday indicated to pressperson that a deal on the Russia-Ukraine war, the Iran issue, and nuclear arms control would be on the agenda. "One of the meetings will be with President Putin and President Xi, and that will be interesting. We are talking a lot of things, including denuclearisation... We are trying to end the war in Iran," Mr. Trump was quoted as saying.

Mr. Trump and Mr. Xi will meet bilaterally next week for the third time this year, following the U.S. President's visit to Beijing in May and the Chinese President travelling to Washington in September. They will meet once again at the end of the year at the G20 in Miami, marking an unusual four meetings in a year. Asked about his remarks, China's Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun on Monday did not rule out the prospect of a meeting, saying that China was in communication with relevant parties regarding the meeting between the Chinese, Russian and U.S. Presidents.

Chinese analysts have sought to play down the significance of a possible trilateral summit, just as they also played down Mr. Trump's remarks in Beijing earlier this year of a "G2". Russia was "most enthusiastic" among the three, Su Lisqiang, a scholar at the Centre for American Studies at the Shanghai Institutes for International Studies, said in an interview with state media.

"On the one hand, there is substantial political resistance in the U.S. Anti-Russia sentiment remains strong in both the U.S. and among its European allies, with opposition to negotiating with Moscow while bypassing Ukraine and Europe. On the other hand, the three countries have differing priorities. Russia's core concern in negotiations on a ceasefire in Ukraine, the U.S. is interested in the Russia-Ukraine conflict and non-proliferation, China supports peace talks but must also balance its relations with the U.S., Russia, Europe and Ukraine. In this context, a low-profile trilateral meeting is the more realistic option," he said.

APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation

X P J

YouTube Homework

- G-7
- SCO – CoHM, CoHS
- BRICS
- 12th BPF
- 13th ADMM
- G-20 FMM

B APEC

महत्वपूर्ण तथ्य

- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) प्रशांत महासागर के आस-पास के देशों (प्रशांत रिम) का एक प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है, जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

स्थापना और मुख्यालय

- स्थापना (Establishment): APEC की स्थापना नवंबर 1989 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में हुई थी। इसकी शुरुआत तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट हॉके की पहल पर की गई थी।
- मुख्यालय (Headquarters): इसका स्थायी सचिवालय सिंगापुर में स्थित है, जिसे 1993 में स्थापित किया गया था।

सदस्य देश (Member Economies)

- APEC में कुल 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं (देश) शामिल हैं। इन्हें आधिकारिक तौर पर "सदस्य देश" के बजाय "सदस्य अर्थव्यवस्थाएं" कहा जाता है क्योंकि इसमें हांगकांग और ताइवान जैसे क्षेत्र भी आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं:
- एशिया और प्रशांत रिम: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, चीन, हांगकांग, चीनी ताइपे (ताइवान)
- अमेरिका क्षेत्र: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), कनाडा, मेक्सिको, चिली, पेरू
- अन्य: रूस
- (विशेष नोट: भारत APEC का सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत की भौगोलिक सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती है।)

हालिया बैठक (APEC Summit 2026)

- स्थान: 33वीं APEC आर्थिक नेताओं की बैठक (Economic Leaders' Meeting) शेनझेन (Shenzhen), चीन में आयोजित होने जा रही है।
- तारीख: यह मुख्य शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर 2026 को आयोजित होगा।
- थीम: इस बार का आधिकारिक मुख्य मोटो "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together" (साझा समृद्धि के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण) रखा गया है।

शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा (Agenda)

- शेनझेन में होने वाली इस बैठक का मुख्य ध्यान इन महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी मुद्दों पर रहेगा:
- सप्लाई चेन को मजबूत करना: क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chains) को अधिक स्थिर और लचीला बनाना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल अर्थव्यवस्था: सदस्य देशों के बीच डिजिटल ग्रोथ, नवाचार और विशेष रूप से AI के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण (FTAAP): एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area of the Asia-Pacific) की दीर्घकालिक योजना पर बातचीत को आगे बढ़ाना।
- सतत और समावेशी विकास: पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित विकास (Sustainability) और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण तथ्य

Ukraine-Russia Peace Talk

Modi said India ready to help end the conflict: Zelenskyy

Suhasini Haidar
NEW DELHI

India is ready to mediate between Russia and Ukraine to establish "food corridors", announced Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, welcoming the offer after a telephone call with Prime Minister Narendra Modi, ahead of the Ukraine-Russia peace talks set to begin in Abu Dhabi on Tuesday.

Mr. Modi conveyed India's "readiness" to help with all initiatives to end the nearly five-year-old conflict. The call was followed by another call between External Affairs Minister S. Jaishankar and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, in the clearest indication thus far of the mediatory role that New Delhi is now playing between Moscow and Kyiv.

On Tuesday, U.S. President Donald Trump's negotiators, including his son-in-law Jared Kushner and special envoy Steve Witkoff, will restart negotiations after three months with Russian and Ukrainian representatives to discuss security guarantees required for a possible ceasefire. The calls from New Delhi came just ahead of the talks in the UAE, and a week before Mr. Modi and Mr. Trump are expected to meet on the sidelines of the ASEAN-linked summits in Manila. Later this month, Mr. Trump is expected to travel to Shenzhen for the APEC summit in China, that Russian President Vladimir Putin is also expected to attend, making the timing of the Modi-Zelenskyy and Jaishankar-Lavrov calls more significant. "Prime Minister [Modi] reaffirmed India's human-centric approach and reiterated India's consistent position that the conflict must be resolved through dialogue and diplomacy," the Ministry of External Affairs said in a statement about the Modi-Zelenskyy call. "He conveyed India's readiness to contribute to all efforts aimed at peaceful resolution of the conflict," it added.



Narendra Modi meeting with Volodymyr Zelenskyy on the sidelines of UN General Assembly in New York in September 2024. ANI

'Briefed Modi'

In a post on social media, Mr. Zelenskyy said he had briefed Mr. Modi on the latest developments and stressed that Mr. Modi had said to Mr. Putin that the war must end. The Ukrainian President said Russia must understand that the "global economy and hundreds of millions of people around the world are suffering because of blocked sea routes" in the Black Sea, and called for India to clarify its peace proposal.

"It is important that India identify what steps it can take and what dialogue it can pursue with other leaders to help bring the war to an end. Food security could be one such area. We discussed Russia's blocking of grain exports via the Black Sea. India is ready to mediate in establishing food corridors, and we are counting on these efforts to continue," Mr. Zelenskyy wrote.

Within a couple of hours of the announcement, Mr. Jaishankar posted that he had spoken to his Russian counterpart Mr. Lavrov as well, and said their conversation had "focused on the Ukraine conflict and ongoing diplomatic initiatives".

YouTube Homework

- GAZA Peace Plan
- Mecca Pact
- BADR Pact

महत्वपूर्ण तथ्य

- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय शांति वार्ता (Trilateral Peace Talks) आज यानी 10 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है।

कहां हो रहा है?

- यह ऐतिहासिक बैठक अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात - UAE) में हो रही है। अबू धाबी पहले भी दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला-बदली जैसी कूटनीतिक बातचीत के लिए एक तटस्थ मंच (Neutral Venue) रहा है।

कब से कब तक होना है?

- यह बैठक 10 नवंबर और 11 नवंबर 2026 (मंगलवार और बुधवार) को दो दिनों के लिए निर्धारित की गई है।

कौन-कौन शामिल हो रहा है?

- रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि यह केवल एक त्रिपक्षीय (Trilateral) वार्ता होगी, जिसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडलों के मुख्य चेहरे इस प्रकार हैं:
- अमेरिका (मध्यस्थ): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से उनके शांति दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं।
- रूस: रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं। इस बार पहली बार उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव भी इसमें शामिल हैं।
- यूक्रेन: यूक्रेन की ओर से उनके विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तम उमेरोव, राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरीलो बुडानोव और सांसद डेविड अराखमिया शामिल हो रहे हैं।
- (नोट: फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के अधिकारी भी अबू धाबी पहुंच रहे हैं, लेकिन रूस की आपत्ति के कारण वे मुख्य वार्ता का हिस्सा न होकर यूक्रेन के साथ अलग से बैठक करेंगे)।

क्या भारत इसका हिस्सा है?

- भारत इस अबू धाबी वार्ता की टेबल पर सीधे तौर पर शामिल नहीं है। यह बैठक पूरी तरह से अमेरिका, रूस undersea और यूक्रेन के बीच ही हो रही है।
- हालांकि, भारत पर्दे के पीछे से शांति बहाली में बेहद सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस वार्ता के ठीक एक दिन पहले, 9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की और शांति प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की है, जिससे साफ है कि भारत दोनों पक्षों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है।

महत्वपूर्ण तथ्य

War with Iran 'highly unlikely' to resume if talks progress: Trump

U.S. leader signals lull in fighting but warns decision depends on a strong deal, claims economic pressure will force Tehran to concede to Washington's terms; Iranian Minister says peace talks had paused following Republicans' rout in midterms

Agence France-Presse
WASHINGTON

U.S. President Donald Trump cast doubt on renewed fighting with Iran, telling CNN it was "highly unlikely," ahead of a meeting with mediator Qatar's Prime Minister on Monday.

Mr. Trump has threatened to resume strikes in recent weeks, with U.S. media reports suggesting that hostilities could restart after last Tuesday's midterm elections.

The President told CNN in an interview on Sunday that renewed fighting was "highly unlikely," but warned that his decision "depends on whether or not they sign a very strong agreement."



U.S. President Donald Trump had acknowledged that the Iran war was partially responsible for the Republicans' defeat. REUTERS

"I would if necessary, but we hit them really hard. I hit them so hard. You don't know how hard I hit them," he said.

Mr. Trump is scheduled to meet Qatar's Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at the White House on Monday. The meeting will be Mr. Trump's first with a foreign leader since a massive midterm loss that saw his Republican Party lose control of Congress.

Political fallout

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi suggested on Sunday that peace talks had been paused while the political fallout of the vote was being assessed.

"For the past few days, there has been no more travel (by mediators), and the reason for this is the shock that the election results in the U.S. have caused to everyone," Mr. Araghchi said.

"We now have to see how long it will take for them to digest these results, in order to determine how we are going to move forward," he added.

Mr. Trump has acknowledged that the war with Iran as at least partially responsible for the Republicans' defeat.

In Sunday's CNN interview, Mr. Trump once again suggested that the economic pressure Iran is under will force its leaders into accepting the Washington's terms.

"They're a failing nation. It just came out, you saw this year, 301 percent inflation," Mr. Trump claimed. "They're withering away financially. We've hit them militarily. We could finish them off."

Iran's official figures put inflation at nearly 90 percent year-on-year in September.

महत्वपूर्ण तथ्य

Anuj lights up Indian chess, becomes the 100th GM

India's **100 GMs** on 64 squares

FROM **ANAND** TO **ANUJ**, THE MEMBERS OF THE ELITE GRANDMASTERS' CLUB

Sl. No.	Who	When
1	**Viswanathan Anand**	**1987**
2	Dibyendu Barua	1991
3	Praveen Thipsay	1997
4	Abhijit Kunte	2000
5	Krishnan Sasikiran	2000
6	**Pentala Harikrishna**	**2001**
7	**Koneru Humpy**	**2002**
8	Surya Shekhar Ganguly	2003
9	Sandipan Chanda	2003
10	**R.B. Ramesh**	**2003**
11	Tejas Bakre	2004
12	Magesh Chandran	2006
13	Deepan Chakkravarthy	2006
14	Neelotpal Das	2008
15	Parimarjan Negi	2008
16	G.N. Gopal	2007
17	Abhijeet Gupta	2008
18	S. Arun Prasad	2008
19	S. Kidambi	2009
20	R.R. Laxman	2009
21	Sriram Jha	2010
22	Deep Sengupta	2010
51	Saptarshi Roy	2018
52	**R. Praggnanandhaa**	**2018**
53	Nihal Sarin	2018
54	**Arjun Erigaisi**	**2018**
55	Karthik Venkataraman	2018
56	Harsha Bharathakoti	2019
57	P. Karthikeyan	2019
58	G.A. Stany	2019
59	N.R. Visakh	2019
60	**D. Gukesh**	**2019**
61	P. Iniyan	2019
62	Swayams Mishra	2019
63	Girish A. Koushik	2019
64	Prithu Gupta	2019
65	Raunak Sadhwani	2019
66	G. Akash	2020
67	Leon Mendonca	2020
68	Arjun Kalyan	2021
69	Harshit Raja	2021
70	R. Raja Rithvik	2021
71	Mitrabha Guha	2021
72	Sankalp Gupta	2021



The 22-year-old from Madhya Pradesh, who quit his software engineering job to pursue a career in the sport, says it feels good to join the roll of honour and that all the hard work has borne fruit

G. Shyam Sundar
CHENNAI

A job offer in a Germany-based IT company was on hand, but Anuj Shrivatri chose a career in chess over being a software professional. He doesn't regret that decision. The 22-year-old provided cheer to India by becoming the country's 100th Grandmaster on Sunday when it was celebrating the festival of lights.

Ever since V.S. Rathanvel became the 99th GM, the question of who would the 100th was on the minds of chess-lovers. And, Anuj did it, winning the seventh ASEAN Plus individual open chess championship in the Philippines.

"It feels very good to become a GM and being the country's 100th is special," he told *The Hindu*.



Fabulous feat: Anuj will cherish his achievement for a long time.

"I had been trying to become a GM and winning the tournament earned me the title directly. All the hard work paid off."

He admitted there was some pressure at the business-end but he made it a point not to overthink and miss out on the opportunity. "I played some really good chess in the last two rounds to win and clinch the title," Anuj, who became the first-ever GM from Madhya Pradesh said.

Having realised the GM dream, he said "the focus is to cross the 2600 barrier and win lot of tournaments."

Introduced to chess by his father (Ashok) at the age of six, he took a liking to it and made rapid strides with support from the family.

"I can't thank my father and mother enough. They encouraged me to pursue chess when there was a good job offer," Anuj, who admires World No. 1 Magnus Carlsen and Indian legend Viswanathan Anand, said. "Openings and endgames are my forte and time-management is something which I can improve on," he added.

Having chosen the game of 64 squares over cloud computing, he is already on cloud nine and aiming for the sky.

महत्वपूर्ण तथ्य

- अनुज श्रीवात्री (Anuj Shrivatri) इस समय शतरंज (Chess) की दुनिया में अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण जबरदस्त चर्चा में हैं। वह भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर (Grandmaster - GM) बन गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास के पहले ग्रैंडमास्टर होने का गौरव भी उन्होंने हासिल किया है।

अनुज श्रीवात्री कौन हैं और क्या करते थे?

- मूल निवासी: अनुज मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 22 वर्ष है।
- बैकग्राउंड: उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग में बीटेक (B.Tech) की पढ़ाई की है।
- नौकरी छोड़ी: वह एक जर्मन आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। कंपनी ने उन्हें जर्मनी के हेड ऑफिस में काम करने का शानदार ऑफर भी दिया था, लेकिन शतरंज में अपना करियर बनाने और खेल पर पूरा 8-9 घंटे फोकस करने के लिए उन्होंने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी को छोड़ दिया।

वह क्यों चर्चा में हैं और उनकी उपलब्धि क्या है?

- अनुज ने फिलीपींस में आयोजित 7वीं आसियान प्लस व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2026 (7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship) का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है।

उनकी इस जीत की खास बातें:

- देश का शतक: उनकी इस जीत के साथ ही भारत ने शतरंज की दुनिया में अपने 100 ग्रैंडमास्टर्स पूरे कर लिए हैं। साल 1988 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे और अब 38 साल बाद अनुज ने भारत का यह ऐतिहासिक शतक पूरा किया है।
- शानदार वापसी: टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में अनुज को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अद्भुत वापसी करते हुए अगले 8 राउंड में से 7 अंक जुटाए और चैंपियन बने।
- सीधा ग्रैंडमास्टर खिताब: आमतौर पर ग्रैंडमास्टर बनने के लिए 2500 फिडे (FIDE) रेटिंग अंक और 3 नॉर्म्स की जरूरत होती है। लेकिन इस विशेष चैंपियनशिप को जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे ग्रैंडमास्टर का खिताब मिलने का प्रावधान था, जिससे अनुज ने अपनी लाइव रेटिंग 2450 होने के बावजूद डायरेक्ट यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया।
- दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुज को इस शानदार और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Linette comes from behind, bags fourth Tour-level title

The Pole defeats reigning champion Tjen, enjoys the perfect finish to a tournament she wasn't too keen on competing in; Karamoko and Waltert beat Vaishnavi and Rutuja to win the doubles event

WTA CHENNAI OPEN

Nihit Sachdeva
CHENNAI

Magda Linette wasn't too keen on playing the WTA 250 Chennai Open after a round-of-16 loss in Guangzhou. But the decision had already been made by her team.

Linette, the third-seeded Pole, didn't have much to complain about in the end as she beat reigning champion Janice Tjen 5-7, 6-1, 6-4 in a thrilling final on Monday to claim her fourth Tour-level title.

The summit clash was originally scheduled for Sunday before being shifted to the reserve day due to rain and Deepavali fireworks-induced smog.

Amidst the cacophony of firecrackers bursting sporadically in the distance, the contest began at 11 a.m. with 600-odd spectators on the centre court at the SDAT Stadium and under a clear sky.



Bringing cheer: Linette dedicated her victory to the victims of a mass shooting at Krakow. R. RAGU

Costly error

The first set had been on a knife edge till World No. 68 Linette misjudged a loopy forehand from the top-seeded Indonesian.

Tjen, after wasting five, finally converted a break point with a forehand down the line to take a 6-5 lead before serving the 64-minute opener out.

Drop in level

However, her level dropped in the second essay – her first serve % dipped from 67 to 58 and she also made three double faults.

Linette, growing in confidence, broke her serve twice. Before the decider, the match had to be suspended for 10 minutes due to 'extreme weather conditions' with the temperature exceeding 30.1 degrees Celsius.

After falling behind early in the third set, Tjen hit a crosscourt backhand drop shot and an inside-out forehand to break back Linette in a marathon sixth game.

But the Pole restored her advantage immediately before losing just one point in her next two service games, sealing the victory in two hours and 43 minutes.

Linette dedicated her triumph to the victims of a mass shooting at Krakow in her home country.

"I just want to say that my heart and wishes are with all the victims and those who are hurt," she said.

Earlier, in the doubles final on Sunday, the Swiss pair of Naima Karamoko and Simona Waltert defeated the all-Indian duo of Vaishnavi Adkar and Rutuja Bhosale 6-2, 6-0.

महत्वपूर्ण तथ्य

- मागदा लिनेट (Magda Linette) ने हाल ही में चेन्नई ओपन 2026 का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया की जेनिस त्जेन को 5–7, 6–1, 6–4 से हराकर यह जीत हासिल की। यह पोलैंड की इस 34 वर्षीय खिलाड़ी के करियर का चौथा WTA सिंगल्स खिताब है।

WTA 250 क्या होता है?

WTA 250 को आप टेनिस की दुनिया का एक महत्वपूर्ण स्तर (Level) समझ सकते हैं:

- WTA (Women's Tennis Association): यह दुनिया भर में महिलाओं के प्रोफेशनल टेनिस को संभालने वाली मुख्य संस्था है। जैसे क्रिकेट में ICC होती है, वैसे ही महिला टेनिस में WTA है।
- 250 का मतलब (रैंकिंग पॉइंट्स): WTA के टूर्नामेंट अलग-अलग श्रेणियों में होते हैं—जैसे WTA 250, WTA 500 और WTA 1000। इसमें '250' का मतलब है कि जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को जीतेगा, उसे वर्ल्ड रैंकिंग में 250 पॉइंट्स मिलेंगे। उपविजेता (Runner-up) और बाकी राउंड में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को भी इसी अनुपात में पॉइंट्स मिलते हैं।
- टूर्नामेंट का स्तर: WTA 250 टूर्नामेंट्स में दुनिया भर की टॉप खिलाड़ी अपनी रैंकिंग सुधारने और प्राइज मनी जीतने के लिए खेलती हैं। ग्रैंड स्लैम (जैसे विंबलडन या ऑस्ट्रेलियन ओपन) के बाद ये टूर्नामेंट्स टेनिस कैलेंडर का अहम हिस्सा होते हैं।

मागदा लिनेट की इस जीत में खास क्या था?

- शानदार वापसी: फाइनल मैच में लिनेट पहला सेट हार गई थीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले दोनों सेट और मैच जीत लिया।
- भावुक पल: जीत के बाद लिनेट काफी इमोशनल हो गईं। उन्होंने अपनी यह ट्रॉफी पोलैंड के क्राको (Kraków) शहर में हुई एक दुखद मास शूटिंग के पीड़ितों को समर्पित (Dedicate) की।
- रैंकिंग में फायदा: इस 250 पॉइंट्स की मदद से उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ा उछाल आएगा और वह फिर से टॉप 50 खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगी।

महत्वपूर्ण तथ्य



Modernist artist Arpita Singh, aged 89, passes away

Modernist artist Arpita Singh, widely known for her detailed figurative works, died at a hospital in New Delhi from age-related ailments on Monday, her husband and artist Paramjit said. She was 89. "She had heart and lung related issues for some years now. However, she was actively working. Her health dipped in the last three days and was admitted to the hospital," he added. Their only daughter, also an artist, Anjum Singh died in 2020 from cancer. Ms. Singh received the Padma Bhushan in 2011 and the Lalit Kala Akademi Fellowship in 2014 for her contribution to art. PTI

महत्वपूर्ण तथ्य

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिल्ली में पहली यमुना रिवर क्रूज सेवा शुरू होगी

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में कल इसका उद्घाटन करेंगे

प्रविष्टि तिथि: 09 NOV 2026 5:11PM by PIB Delhi

यमुना नदी में मनोरंजक रिवर क्रूज सेवा शुरू होने के साथ दिल्ली के पर्यटन परिदृश्य में एक नया आकर्षण जुड़ने वाला है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल कल 10 नवंबर, 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की उपस्थिति में सोनिया विहार में इसका उद्घाटन करेंगे। यमुना नदी के सोनिया विहार-जगतपुर खंड में विकसित इस पहल का उद्देश्य नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले पर्यटकों को मनोरंजन का एक नया साधन प्रदान करना है।

रिवर क्रूज सेवा उद्घाटन समारोह में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह, पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा और सांसद श्री मनोज तिवारी भी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 घोषित किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी के सोनिया विहार-जगतपुर खंड में मनोरंजक रिवर क्रूज सेवा का विकास इस राष्ट्रीय जलमार्ग की क्षमता का मनोरंजक नौपरिवहन और नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह सेवा आरंभ किए जाने से पहले, पिछले महीने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में क्रूज पोत का सफलतापूर्वक परीक्षण संचालित किया गया था।

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-आईडब्ल्यूएआई के नेतृत्व में आरंभ की गई यह पहल संवहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने तथा जलमार्गों को शहरी परिवहन और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के अभिन्न अंग के तौर पर विकसित करने की प्राधिकरण की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

इस पहल से दिल्ली वासियों और पर्यटकों को अनूठा अनुभव मिलेगा और यमुना नदी के साथ आम जनता का जुड़ाव भी बढ़ेगा। विद्युत चालित क्रूज पोतों का इस्तेमाल स्वच्छ और संवहनीय परिवहन को बढ़ावा देने में अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता भी प्रदर्शित करेगा। साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मनोरंजन का नया आकर्षण जोड़ेगा।

मनोरंजक यमुना रिवर क्रूज सेवा केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली जल बोर्ड तथा दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से विकसित की जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

रक्षा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय नौसेना आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के सबसे बड़े बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित करेगी

प्रविष्टि तिथि: 09 NOV 2026 4:47PM by PIB Delhi

भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस चिल्का में 13 नवंबर को भारतीय नौसेना के अग्निवीरों और भारतीय तटरक्षक बल के नाविकों के नौवें बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन इस परेड में मुख्य अतिथि और निरीक्षण अधिकारी होंगे।

इस परेड के साथ 3,300 से अधिक प्रशिक्षुओं का 16 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होगा। यह आईएनएस चिल्का से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा। यह परेड एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन का प्रतीक होगी, जिसका उद्देश्य युवा प्रशिक्षुओं को अनुशासित, शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से दृढ़ और पेशेवर रूप से दक्ष समुद्री योद्धाओं के रूप में तैयार करना है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शैक्षणिक अध्ययन, शारीरिक प्रशिक्षण, तैराकी, परेड प्रशिक्षण, बाहरी गतिविधियों और शिविरों को शामिल किया गया है, ताकि प्रशिक्षुओं को उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत के लिए एक समग्र आधार प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, आपसी सौहार्द और टीम भावना विकसित करने पर समान रूप से जोर दिया जाता है। इस दौरान नौसेना के मूल मूल्यों कर्तव्य, सम्मान और साहस की भावना भी प्रशिक्षुओं में विकसित की जाती है।

पासिंग आउट परेड प्रशिक्षुओं के लिए गर्व और उपलब्धि का विशेष अवसर होगी। इस अवसर पर उनके परिवारजन उनके प्रशिक्षण की सफल पूर्णता और एक नए पेशेवर जीवन की शुरुआत के साक्षी बनेंगे। इसके अतिरिक्त, नौसेना के पूर्व सैनिक और विशिष्ट अतिथि भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।

समापन समारोह की अध्यक्षता दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना करेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रशिक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए मेधावी प्रशिक्षुओं, चैंपियन डिवीजन और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं की द्विभाषी पत्रिका 'अंकुर' का विमोचन भी किया जाएगा।

पासिंग आउट परेड का भारतीय नौसेना के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिससे देशभर के नागरिक इस गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी बन सकेंगे।

Home Assignment

- ❑ World Pi Day
- ❑ Soil Health Card

Thanks For Watching

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected

Learn Share Grow Together ♡

Better Students Brighter Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small Steps Big Results